प्रेस विज्ञप्ति

21/02/2024

ईडी ने न्यायधीश रिश्वत प्रकरण मामले में धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के तहत माननीय विशेष न्यायलय (पीएमएलए), पंचकुला, हरियाणा के समक्ष 10 आरोपी व्यक्तियों, जिसमें सुधीर परमार (पूर्व- न्यायधीश, विशेष न्यायलय, पंचकुला, हरियाणा) और अन्य शामिल हैं, के विरुद्ध 11.08.2023 को अभियोजन शिकायत (पीसी) और 06.10.2023 को अनुपूरक अभियोजन शिकायत दायर की है। माननीय न्यायलय ने 20.02.2024 को पीसी और अनुपूरक पीसी का संज्ञान लिया हैं।

ईडी ने आरोपियों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता, 1860 और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की विभिन्न धाराओं के तहत भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, पंचकुला (हरियाणा) द्वारा दर्ज एफआईआर के आधार पर जांच शुरू की।

ईडी की जांच से पता चला है कि न्यायाधीश सुधीर परमार को आईआरईओ समूह और एम3एम समूह के मालिकों/प्रवर्तकों से उन्हें लाभ पहुंचाने के लिए 7 करोड़ रुपए लगभग अवैध रिश्वत मिली थी। न्यायाधीश द्वारा कथित अवैध परितोषण बिना किसी दस्तावेज/औचित्य के न्यायाधीश के रिश्तेदारों के बैंक खातों में नकदी के साथ-साथ ऋण के रूप में प्राप्त किया गया था।

जांच के दौरान ईडी द्वारा 05 आरोपी व्यक्ति गिरफ्तार किए थे । इससे पहले, आरोपी व्यक्तियों की 7.59 करोड़ रुपए की संपत्तियां कुर्क करते हुए एक अनंतिम कुर्की आदेश जारी किया गया था जिनमें आवासीय प्लाट और कृषि भूमि शामिल हैं और इसकी पुष्टि माननीय न्याय निर्णयन प्राधिकारी ने दिनांक 18.01.2024 के आदेश द्वारा भी की है।

आगे की जांच जारी है.

****